यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक 10.2.2020

मि.न. 71/2020

सरकार बनाम दीनाराम वगै0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मलपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम मोरधा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1263/59.71है0 किस्म गै0मु0 नदी मेंसे 1.0 है0पर दाताराम, दीनाराम, रामनिवास पुत्र शोभाराम जाति गुर्जर निवासी मोरधा तहसील कोटपूतली ने सरसों व की कास्त कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित आये । परन्तु गैर सायल द्वारा जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया । गैर सायलान ने अपने जबाब में कथन किया है कि वे स्वंय की खातेदारी भूमि पर काबिज होकर कास्त करते आ रहे हैं उक्त भूमि हमारी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1103 वाके ग्राम मोरधा के साथ लगती हुई है हमारा खसरा नंबर 1263 से कोई तालुक वास्ता नहीं है।इसलिए गलतफमी से नोटिस दिया गया है सीमाज्ञान के पश्चात यदि हमारा अतिक्रमण पाया जाता है तो बेदखल होने को तैयार हूॅ। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 1263/59.71 वाके ग्राम मोरधा की किस्म गै0 मु0 नदी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिस पर अतिक्रमण कर नदी के स्वरूप को क्षति पहूचाने का है जिसमे माननीय उच्च न्यायालय राज0 द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटीसन न.1536/2013 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में निर्णय दिनांक 2.8.2004 में गै0मु0 नदी0 ,तालाब, जोहड,भराव,बहाव क्षेत्र की 1947की स्थिति कायम रखने के आदेश प्राप्त हैं।

तहसीलदार
कोटपूतली जय

Scanned by CamScanner

अतः अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैरसायल दाताराम , दीनाराम, रामनिवास पुत्रान शोभाराम जाति गुर्जर निवासी मोरधा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम मोरधा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1263 / 59.71है0 ,किस्म गै0मु0 नदी मे से 1.0 है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल द्वारा बोई गई फसल सरसों को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 2 रू. का पचास गुणा 100रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते फसल निलामी बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 10.2.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जय

Scanned by CamScanner